न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0 5, बरेली
प्रकीर्ण वाद सं0 523/2022

वादी मुकदमा अबरार हुसैन
मु0अ0सं0 376/2021
धारा 366 भा0दं0सं0
थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली

दिनांक 21.05.2023

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

वादी मुकदमा न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

वादी मुकदमा द्वारा अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमें में विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या न्यायालय में दाखिल कर दी गयी। वादी पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या से संतुष्ट है और अन्तिम आख्या को स्वीकार कराना चाहता है। अतः विवेचक द्वारा उपरोक्त मामले में प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। इसके साथ शपथपत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त मुकदमा थाने पर अभियुक्तगण आफताब, आमिर, अशफाक, नत्थू, अरशद तथा ताहिर के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गयी। विवेचना से अपहृता बालिग होने तथा अपनी इच्छा से आफताब अंसारी के साथ जाने और उसी के साथ शादी कर लेने और पति पत्नी के रूप में रहना प्रकट हुआ। तमामी विवेचना से नामजद अभियुक्तगण आफताब आदि के विरूद्ध अभियोग में साक्ष्य न पाये जाने के आधार पर विवेचक द्वारा प्रकरण में अन्तिम आख्या प्रस्तुत कर दी गयी। वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि विवेचक द्वारा उपरोक्त मामले में प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार कर ली जाये उसे कोई आपत्ति नही है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि विवेचक द्वारा विवेचना में कोई त्रुटि कारित नही की गयी। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में उपरोक्त वाद में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या 05/2022 दिनांकित 24.02.2022 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–5, बरेली।

Digitally signed by DEVENDRA KUMAR I
Date: 2023.05.22 17:29:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court